न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी-पीयुष समारिया
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा०पत्र सं० 03/2019

1.राज्य सरकार जरिये रामभजन मीना प्रवर्तन अधिकारी, दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

1.महेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र दामोदर प्रसाद गुप्ता मालिक मै0 खण्डेलवाल सेल्स एण्ड सर्विस, रेल्वे स्टेशन के पास वाली पुलिया के नीचे नाटाणी मार्केट दौसा।
..अप्रार्थी

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थितः 1. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. श्री जितेन्द्र सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय　　　　दिनांकः 18.02.2021

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, दौसा द्वारा दिनांक 28.05.2019 को में गठित संयुक्त जॉच दल के साथ 10 गैस सिलेण्डर (5घरेलु व 5 नॉन आईएसआई मार्का) जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु निवेदन किया गया था।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि श्री रामभजन मीना प्रवर्तन अधिकारी, दौसा एवं श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 28.05.2019 को दौसा शहर मे घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण, क्रय- विक्रय तथा अवैध अंतरण की शिकायत की जांच हेतु मौके पर रेल्वे स्टेशन पुलिया के नीचे नाटानी मार्केट स्थित खण्डेलवाल सेल्स एण्ड सर्विस नाम से संचालित गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान की जॉच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान के अंदर घरेलू एलपीजी गैस(14.2कि0ग्रा0) के पांच सिलेण्डर पाये गये जिनमे 4 सिलेण्डर सील्ड पूरे भरे हुए तथा एक सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा हुआ पाया गया। इसके अलावा मौके पर 5 छोटे सिलेण्डर पाये गये तथा बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर व पेट्रोमैक्स मे गैस अंतरण का उपकरण मय पाईप व रेगुलेटर पाया गया। मौके पर प्राप्त घरेलू गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को व्यवसायी श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा अवैध रूप से भण्डारित किया जाना पाया गया तथा घरेलू एलपीजी गैस के अवैध कारोबार व अंतरण मे लिप्त पाया गया जो कि एलपीजी आदेश 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। अमित गैस एजेन्सी के कार्मिक को बुलाकर गैस सिलेण्डरों की तौल करवाई जाने पर शुद्ध गैस का वजन 57.5 कि0ग्रा0 पाया गया। मौके पर घरेलू एलपीजी गैस (14.2कि0ग्रा0) के पांच सिलेण्डर मय एलपीजी व पांच छोटे नॉन आईएसआई मार्का सिलेण्डर एवं एक गैस अंतरण का उपकरण

मय रेगुलेटर व पाइप व एक छोटा तौल उपकरण को जब्त कर अमित गैस एजेन्सी के कार्मिक को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा उपरोक्त अनियमितताएँ की जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेण्डर अत्यंत ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करे व जब्तशुदा 10गैस सिलेण्डर (5घरेलु व 5 नॉन आईएसआई मार्का) मय एलपीजी 57.5 कि0ग्रा0 को राजसात करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच दल द्वारा जब्तशुदा वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी के यहां से कभी कोई वस्तु प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा जब्त नहीं की गई है। उक्त वस्तुएं राजसात करने मे प्रार्थी को कोई एतराज नहीं होना व्यक्त किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा दौसा शहर में घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एलपीजी गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,2000 के क्लॉज 3(C) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय सामान राजसात (Confiscate) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 18 फरवरी 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official